अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

चन्दन सिंह .... **बनाम** भूपेन्द्र सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर..134सन.2022(भिनाय)

	2022 / 134 श्री रोहित सोनी एड	
21.06.2022	**चन्दन सिंह बनाम भूपेन्द्र सिंह सांखला वगैरह (134 / 2022)** पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 14.06.2022 को सुना गया। सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सह–खातेदारान कुलदीप सिंह, रवीन्द्रसिंह पुत्रान अरूण सिंह एवं मंजू कंवर पत्नि अरूण सिंह के नाम 267 / 390 हिस्सा सम्वत 2073–76 जमाबंदी वर्ष 2019 में अंकित है। जिनसे अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा क्रय किया है। उक्त आराजी पर क्रेतागण पूर्वजों के समय से अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक सह–खातेदार की हैसियत से काश्त कर रहे है। जिस क्रम में उन्होने अपने–अपने हिस्से अनुसार बाड़, फसल तारबंदी आदि की हुई है, चुँकि वादी व उसका परिवार अशांति प्रिय व्यक्ति होकर झगडे फसाद कर हैरान–परेशान करने की नोईयत रखते है। जिस क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की है। तद्नुसार उक्त प्रक्रिया पोषनीय नहीं होने पर भी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विचारण न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है, जिससे अपीलांट के हितो को प्रभावित किया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपील पर सुनवाई किये जाने की इजाजत प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करावें। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने स्थगन प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध पेश किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2022 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया है कि वे आगामी पेशी दिनांक 12.05. 2022 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित खातेदारी की है जिसमें कि अन्य खातेदार भी प्रभावित पक्षकारान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा स्वयं को वादग्रस्त आराजी का तथाकथित तौर पर क्रेता अंकन कर वाद जरिये मुख्त्यारआम पेश किया है, जबकि अविभाजित आराजी में सभी खातेदारान का प्रत्येक हिस्से पर अधिकार होता है जब तक अविभाजित आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक मात्र अजनबी द्वारा यह कथन करना कि खातेदार वह स्वयं है अविधिक कथन है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रस्तुत वाद पत्र के समर्थन में राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राजात के बाबत् खातदेारी स्त्रोत साबित करने का भार वादी पर होता है अन्यथा मात्र इन्द्राजात के आधार पर खातेदार नहीं माना जाता है फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये एवं इन्द्राजात को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार को बिना पक्षकार सृजित किये एवं बिना सुनवाई का मौका दिए अस्थायी	

लगातार........

लगातार

निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो आवश्यक अवयवों यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में स्पष्ट विश्लेषण एवं विवेचन नहीं करते हुए एव ना ही कोई फाईडिंग देते हुए और ना ही साक्ष्य का कोई मौका दिये आक्षेपित आदेश जारी कर दिया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित है। माननीय न्यालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 बउनवानी भूपेन्द्र बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित रखें जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने-समर्थन में आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 504, आर.आर.टी.2001(2) पेज 1261 के न्यायिक दृष्टांत एवं माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के निगरानी/टीए/8683/2018/भरतपुर जायदो बनाम जगदीश वगैरह आदेश दिनांक 20.02.2019 के निर्णय प्रति पेश की हैं।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र विवादित आराजी का 267/390 हिस्सा सम्वत 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2019 द्वारा क्रय किया है। अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध व पीड़ित पक्षकार होने के कारण हम न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2022 द्वारा आगामी पेशी तक प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पैरोकार सरकार हेतु नियत है। अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र विवादित आराजी का 267/390 हिस्सा सम्वत 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2019 द्वारा क्रय किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकार संयोजित होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये है। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम मे अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना-पत्र का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र

Crim-I

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

चन्दन सिंह ..... **बनाम** भूपेन्द्र सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर..134सन.2022(भिनाय)

तार

अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र के तीनो आवश्यक अवयवों यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में स्पष्ट विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को उपस्थित होंने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर